संख्या- 8 /2020/237 /छिहत्तर -1-2020-27 बजट/2017टी0सी0-3

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 12 फरवरी, 2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत राज्य सरकार को अवमुक्त केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति। (अनुदान संख्या-13)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का पत्र संख्या- 1675/ डब्लू-409(Coverage-Programme) /2019-20 दिनांक 30 जनवरी, 2020 एवं जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नई दिल्ली के स्वीकृति आदेश संख्या- डब्लू-110120/196/2015-वाटर-I/42, दिनांक 27 जनवरी, 2020 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त कुल केन्द्रांश की धनराशि ₹ 68947.43 लाख के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार से प्राप्त कुल केन्द्रांश में से अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ₹ 52648.57 लाख (रूपये पांच अरब छब्बीस करोड अडतालीस लाख सत्तावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	पेयजल कार्यक्रम के घटक/ कैटेगरी	भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
अनुदान संख्या-13	Normal Programme (for providing functional tap connection to every rural house hold) Non SCC-STC	52648.57	52648.57
	योग	52648.57	52648.57

(रूपये पांच अरब छब्बीस करोड अडतालीस लाख सत्तावन हजार मात्र)

(I) धनराशि का व्यय जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) स्वीकृत की गयी धनराशि को पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(III) आकडों की शुद्ता व विभिन्न घटकों में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2020 में अंकित निर्देशों के अनुसार धनराशि के आहरण/व्यय के अनुपालन का दायित्व वित्त नियंत्रक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(IV) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाए।

(V) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/ दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपलान सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व वित्त नियंत्रक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(VI) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(VII) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(VIII) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व् वित्त नियंत्रक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(IX) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रकिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(X) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/ उपयोग में भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत जारी दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(XI) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाएगा।

(XII) धनराशि के आहरण/ व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं अन्य वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(XIII) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही /अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय -01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति- 02-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0 डब्लू0 पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या- 1/2019 /बी-1-170/दस-2019-231/ 2019 दिनांक 22-03-2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्याः 8 /2020/237 (1)/छिहत्तर-1-2020- 27 बजट/2017 टी0सी0-2 तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार।
(2) अनु सचिव (जल), जल शक्ति मंत्रालय,पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पं0 दीन दयाल अंत्योदय भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली, को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2020 के क्रम में।
(3) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(4) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) नियोजन अनुभाग-4 ।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(10) गार्ड बुक

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।